न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 60/2025

बउनवान

सरकार जर्ये रविन्द्र मील, प्रवर्तन निरीक्षक, (किशनगंज) (प्रार्थी)

बनाम

श्री मोहन राठौर पुत्र रामकरण राठौर, निवासी रेलावन तह. किशनगंज (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. कृष्णकांत शर्मा एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 28.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.01.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के क्रम में मैं प्रार्थी हमराह श्री सन्तोष कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, राठौर टेन्ट हाउस रेलावन तहसील किशनगंज पहुंचे। मौके पर मोहन राठौर पुत्र रामकरण राठौर, निवासी रेलावन, तह. किशनगंज उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3,4,5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर 1 व्यवसाहिक एवं 3 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 4 रिफलिंग पाईप मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स जे.एस. एचपी गैस एजेन्सी किशनगंज की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर व रिफलिंग पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी की मकान एवं दूकान राठोर टेन्ट हाउस के नाम से रामगढ रोड रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां मे अवस्थित है एवं अप्रार्थी ने बारां गैस एजेन्सी से अप्रार्थी मोहनलाल भाई राधेश्याम व माता कान्हीबाई के नाम से 6 घरेलू सलेण्डर जारी करवाये हुये है। उक्त सभी सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा समय समय पर अपनी दूकान पर आने वाली गाडी से भरवाकर अपनी मां व भाई के यहां तथा अपने घर पर घरेलू उपयोग हेतु भिजवाये जाते है इस दौरान जब भी समय मिलता है गैस एजेन्सी पर जाकर नये सिलेण्डर नहीं आ जाता, तब तक उक्त सभी सलेण्डर अप्रार्थी की मकान व दूकान पर ही रखे [illegible] कि समय मिलने पर उनको भरवाया जा सके । अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर [illegible] रखा हुआ था, जो उसके द्वारा अपने पारिवारिक आयोजन मे उपयोग किया [illegible] था तथा उक्त सिलेण्डर को वापस गैस एजेन्सी पर भिजवाया जाना था जो [illegible] के कारण दूकान पर रखा हुआ था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैधानिक कृत्य आज तक नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा अनुसार कानून के दायरे मे रहकर अपना व्यवसाय किया जाता रहा है। किन्तु क्षेत्रीय गैस एजेन्सी जयैश गैस एजेन्सी किशनगंज द्वारा अप्रार्थी से अकारण रंजिश रखी जा रही है क्योकि अप्रार्थी द्वारा क्षेत्रीय गैस एजेन्सी से ना तो घरेलू सिलेण्डर भरवाये जाते है ओर न ही पारिवारिक आयोजन के समय व्यवसायिक सिलेण्डर उससे लिये जाते है क्योकि प्रार्थी को उक्त गैस सिलेण्डरो को बारां से भरवाकर ले जाने मे सुविधा रहती है। जिससे वह अकारण अप्रार्थी से द्वेष रखता है एवं येन केन प्रकारेण अप्रार्थी को परेशान करने का प्रयास करता रहता है एवं इसी के लिये उसके द्वारा परिवादी से मिलीभगत कर परिवादी के पास झूठी शिकायत कर उक्त घरेलू कनैक्शनो के गैस सिलेण्डर भरवाने हेतु अप्रार्थी की दूकान में रखे होने के कारण जबरन उन्हे उठाया गया तथा उसे इस मामले मे अवैध उपयोग का केस बनाते हुये शामिल कर दिया गया। परिवादी द्वारा अप्रार्थी के पास से घरेलू सिलेण्डर लाते समय टेन्ट हाउस के काम में आने वाले लोहे के छोटे छोटे पाईपो को भी उठाया गया एवं उनको भी झूठी कहानी बताते हुये मशीन का नाम लेते हुये सिलेण्डरो के साथ जप्त बताया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अवैध कृत्य नही किया गया है। इसी कारण न तो मौके पर किसी अवैध कृत्य की कोई फोटोग्राफी इस मामले में की गई है। अप्रार्थी को परिवादी द्वारा उक्त मामले मे द्वेषतापूर्वक फंसाया गया है अप्रार्थी द्वारा कभी भी सिलेण्डरो का उपयोग व्यवसायिक कार्य नही किया गया है किन्तु फरियादी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त मामला तैयार किया गया है अप्रार्थी के पास से उक्त सभी सिलेण्डर खाली अवस्था जबरन मिलीभगत कर ले जाया गया है तथा उक्त परिवाद पूर्णतया मनगढन्त आधारो पर तैयार कर फर्जी तरीके से बनाया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब नोटिस परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध तैयार किये गये उक्त मामले को निरस्त फरमाकर अप्रार्थी को उक्त मामले से मुक्त किया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 1 व्यवसायिक, 3 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 4 रिफलिंग पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को परिवादी द्वारा उक्त मामले मे द्वेषतापूर्वक फंसाया गया है अप्रार्थी द्वारा कभी भी सिलेण्डरो का उपयोग व्यवसायिक कार्य नही किया गया है किन्तु फरियादी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त मामला शिकायतन तैयार किया गया है। क्षेत्रीय गैस एजेन्सी जयैश गैस एजेन्सी किशनगंज अप्रार्थी से अकारण अप्रार्थी से द्वेष रखता है एवं येन केन प्रकारेण अप्रार्थी को परेशान करने का प्रयास करता रहता है एवं इसी के लिये उसके द्वारा परिवादी से मिलीभगत कर परिवादी के पास झूठी शिकायत कर उक्त घरेलू कनैक्शनो के गैस सिलेण्डर भरवाने हेतु अप्रार्थी की दूकान में रखे होने के कारण जबरन उन्हे उठाया गया तथा उसे इस मामले मे अवैध उपयोग का केस बनाते हुये शामिल कर दिया गया। अप्रार्थी के पास से उक्त सभी सिलेण्डर खाली अवस्था में बरामद हुए हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध तैयार किये गये उक्त मामले को निरस्त फरमाकर अप्रार्थी को उक्त मामले से मुक्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज॰)

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों से पूर्णतया सहमत हैं तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 000743B, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 499781B, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 579272P, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 518581S का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स जे.एस. एचपी गैस एजेन्सी किशनगंज को कीमत पर दिया जावे तथा जप्तशुदा रिफलिंग मशीन को खुली नीलामी में नीलाम करें और उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested